मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांकः सी–3–7–2013–3–एक, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2014

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकार, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः–स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के संबंध में प्रकिया का सरलीकरण।
संदर्भः–विभाग का समसंख्यक परिपत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 29 जून, 2013.

—0—

आम जनता को विभिन्न प्रयोजनों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला, छात्रवृत्ति आदि के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदाय करने संबंधी सेवा के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित परिपत्र के माध्यम से निर्धारित प्रकिया को अधिकमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

(अ) स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी करने की वर्तमान व्यवस्था–

वर्तमान में स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी सेवा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अंतर्गत सेवा कमांक 6.1 के रूप में अधिसूचित है। उक्त सेवा प्राप्त करने के लिये आवेदक को संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, शपथ–पत्र के साथ निकटतम लोक सेवा केन्द्र अथवा पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निर्धारित मापदंडों की पूर्ति होने की स्थिति में पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा सात कार्य दिवसों में आवेदक को स्थानीय–निवासी प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी कर दिया जाता है।

(ब) स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के संबंध में नवीन व्यवस्था

1. राज्य शासन के अंतर्गत किसी भी प्रयोजन के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र हेतु तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र की व्यवस्था को समाप्त करते हुए संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर हस्तलिखित/

टंकित शपथ पर स्वहस्ताक्षरित, स्वप्रमाणित, घोषणा–पत्र दिये जाने के आधार पर उसे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा।

2. पात्रता–

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निम्न मे से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी–

1.1 आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो।

1.2 आवेदक मध्यप्रदेश में विगत कम से कम 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो।

1.3 आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल /आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय, जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (1.1) अथवा (1.2) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

1.4 आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं का मध्यप्रदेश राज्य को आबंटित अधिकारी हो।

1.5 आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक् पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।

1.6 ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होनें मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हो। इसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। इस कण्डिका में **"परिजन"** से तात्पर्य है, संबंधित भूतपूर्व सैनिक की पत्नी अथवा पति, या माता अथवा पिता।

3. आवश्यक दस्तावेज–

आवेदक को संलग्न प्रपत्र–1 में शपथ पर स्वहस्ताक्षरित,घोषणा–पत्र तैयार करना होगा। नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अब आवेदक अनुप्रमाणित शपथ–पत्र के स्थान पर स्वयं के द्वारा प्रमाणित घोषणा–पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत करेगा। ऐसा घोषणा–पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से अस्टाम्पित कागज पर दिया जा सकेगा अर्थात इसके लिए किसी प्रकार के स्टाम्प पेपर क्रय करने अथवा नोटरी से

अनुप्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि गलत स्वप्रमाणीकरण अथवा गलत घोषणा–पत्र देने पर आवेदक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं विधि के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र के अतिरिक्त आवेदक को अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. प्रक्रिया–

4.1 यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि, स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, जो कि अब तक पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा अनुप्रमाणित शपथ–पत्र के आधार पर जारी किये थे, उक्त व्यवस्था को और अधिक सरलीकृत करते हुए अब किसी लोक सेवा केन्द्र पर जाकर अथवा पदाभिहित अधिकारी/सक्षम अधिकारी के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी विभाग की किसी योजना का लाभ लेने के लिये अथवा किसी प्रकार का प्रमाण–पत्र आदि प्राप्त करने के लिये अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक दस्तावेज के रूप में जहां भी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होती है, वहां अब आवेदक का निर्धारित प्रपत्र 1 में भरकर दिया गया स्वहस्ताक्षरित एवं स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र (Self Declaration) पर्याप्त एवं मान्य होगा। आवेदक से संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र की मांग नहीं की जायेगी और स्थानीय निवास के स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र (Self Declaration) को स्वीकार किया जायेगा।

4.2 उपरोक्त के परिपेक्ष्य में समस्त विभाग अपनी उन सभी योजनाओं/सेवाओं का चिन्हांकन तत्काल करेंगे जिनके प्रदाय हेतु अनिवार्य दस्तावेज के रूप में स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होता है। इन सभी सेवाओं के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र (Self Declaration) को स्वीकार करने संबंधी दिशानिर्देश विभागों द्वारा 31 अक्टूबर 2014 तक अनिवार्य रूप से जारी कर दिये जाएंगे।

4.3 यदि भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए अथवा किसी कानूनी अनिवार्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की बाध्यता है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित व्यक्ति के सादे कागज पर आवेदक के स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र (Self Declaration) के आधार पर संबंधित तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

5. आवेदक के स्थानीय निवासी हेतु स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र (Self Declaration) को मान्य किये जाने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है एवं घोषणा–पत्र में वर्णित तथ्य प्रथमदृष्ट्या आवेदक के स्थानीय निवासी नहीं होने के बारे में जानकारी प्रदर्शित करते हैं, तो आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र (Self-Declaration) को यथास्थिति अमान्य/आपत्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

6. संबंधित विभाग/कार्यालय (जिनके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर सेवा/लाभ प्रदान किया गया है), के अधिकारियों तथा सक्षम अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा आवेदकों द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच रेण्डम आधार पर नियमित रूप से करायी जायेगी। जांच के पश्चात् यदि यह सिद्ध होता है कि किसी आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर सेवा प्राप्त की गयी है, तो ऐसे प्रमाण–पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ–साथ संबंधित आवेदक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

7. स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र (Self Declaration) स्थाई होने के कारण इसकी संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी।

8. नवीन व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावशील होगी। इस परिपत्र के जारी होने के परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत संदर्भित परिपत्र के माध्यम से दिनांक 29 जून, 2013 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित

सेवा क्रमांक 6.1 – "स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना", को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित सेवाओं की श्रेणी से विलोपित (De-notify) किया जाएगा। इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन विभाग के सहयोग से की जावे। इस परिपत्र की कंडिका 4.3 के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले आवेदकों के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालय से संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में आवेदकों को लोक सेवा केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही विभाग के समसंख्यक संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 में वर्णित पात्रता की शर्तें इस परिपत्र की कण्डिका 2 के अनुरूप संशोधित मानी जायेंगी तथा प्रपत्र 2 में शपथ पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र (Self Declaration) को मान्य किया जायेगा। अतः परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 को तदनुसार संशोधित माना जावे।

9. घोषणा–पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–'एक' पर संलग्न है। कोई भी व्यक्ति केवल हस्तलिपि में अथवा टंकित कराकर, जो भी सुविधाजनक हो, इस प्रारूप की पूर्ति कर अपने हस्ताक्षर द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

10. उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के साथ ही इनकी प्रति स्कूलों/कॉलेजों/अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराई जाए एवं व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, ताकि आम जनता इस नवीन व्यवस्था का लाभ ले सकें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. सी—3—7—2013—3—एक, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
12. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
13. सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
14. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
16. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट–एक

स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र
(अस्टाम्पित कागज पर)

फोटो
स्व प्रमाणित

मैं..... आत्मज/पति श्री.....आयु लगभग.....वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:–

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती .....एवं उम्र (लगभग) ..... वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री–
   1. श्री/कु. .....आयु (लगभग) ..... वर्ष
   2. श्री/कु. ..... आयु (लगभग) ..... वर्ष
4. (यहॉ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन कमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन–जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
   1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर ..... मोहल्ला.....ग्राम..... ... तहसील.....जिला.....में वर्ष .....में पैदा हुआ/हुई हूँ।
   2. मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला ..... शहर ..... तहसील .... जिला.....में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ।
      (आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां–कहां निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
   3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम .....कार्यालय का नाम ..... विभाग का नाम ..... के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
   4. मैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित.....नामक संस्था/निगम/मण्डल/ आयोग में ..... पद पर ....कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।
      (कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें)

5. मैं केन्द्र शासन के ..... विभाग में .....के पद पर ..... कार्यालय .....तहसील .....जिला..... के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष ..... बैंच) अधिकारी हूँ। ..... पद पर ..... कार्यालय/मंत्रालय .....में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक ..... पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये।)
8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूं तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षो तक (अवधि .....) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत है। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण—पत्र संलग्न करें)।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .....आत्मज/पति श्री .....आयु .....वर्ष निवासी .....सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा—पत्र की कंडिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरूद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।
सत्यापन आज दिनांक .....वर्ष..... को स्थान .....
.....में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा —पत्र में किया जाये)